न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 92/2019

1 श्रीचन्द उम्र 92 वर्ष पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी नांगली तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
2 जयपाल पुत्र बोयताराम।
3 नारायणी पत्नी बनवारी।
4 दीपक चौधरी पुत्र बनवारी।
5 भंवरी पत्नी बोयताराम।
6 मानसिंह पुत्र रामेश्वरलाल।
7 रामकुमार पुत्र नोपाराम।
8 रामनिवास पुत्र रामेश्वरलाल।
9 सुगनसिंह पुत्र रामेश्वरलाल समस्त जाति जाट निवासीगण नांगली तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय दिनांक 14.08.2019 उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर दावा संख्या 38/2018 उनवानी श्रीचन्द बनाम तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी दावा बाबत उदघोषणा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री जसवन्त सिंह भूरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गंगाधर भूरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 14.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 38/2018 में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी योग्य मातहत अदालत के समक्ष एक दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 138 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 144 रकबा 2.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 6.25 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 9.32 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगली तहसील रामगढ़ शेखावाटी में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 की पैतृक कृषि भूमियां अवस्थित है। जिनमें वादी का 1/4 हिस्सा है वादी को यह भूमि उसके पिता गणपत की मृत्यु के पश्चात विरासत में मिलने पर वादी अपने 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार चलता आ रहा है वादी का घरेलू लाड प्यार का नाम धन्ना था इसलिये उक्त खाता विरासतन वादी अपीलांट के नाम दर्ज हुआ जब अपीलांट के पिता का देहान्त हुआ तब वादी फौज में भर्ती था अपीलांट के जन्म का नाम श्रीचन्द पुत्र गणपतराम है जो सभी दस्तावेजात शिक्षा व सर्विस रिकार्ड में अंकित है चूकि वादी/अपीलांट को लाड प्यार से धन्ना भी पुकारने के कारण उसके पिता की मृत्यु के बाद वादी के पिता के वारिसान बाबत पूछताछ की गयी तो उसके परिजनो ने वादी का नाम धन्नाराम दर्ज करवा दिया जो सहवन से दर्ज होकर आज तक चला आ रहा है उक्त खातेदारी भूमि में दर्ज धन्नाराम के

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वास्तविक नाम श्रीचन्द के मेल नही खाने से वादी/अपीलांट को असीम क्षति हो रही है इसलिए वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि में धन्नाराम के स्थान पर वादी/अपीलार्थी श्रीचन्द उद्घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती फरमायी जावें। वादी अपीलांट द्वारा वाद प्रस्तुत करने के पश्चात दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तामील के पश्चात वादी/अपीलांट द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये गये शपथ व दस्तावेजी सबूतो को नजर अंदाज करके वादी का वाद योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2019 को खारिज किये जाने पर उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में अपना नाम श्रीचन्द उद्घोषित करने बाबत ऐसे 7 दस्तावेज पेश किये है जिन सभी में वादी का नाम श्रीचन्द अंकित है इन महत्वपूर्ण दस्तावेजो को नजर अंदाज करके जो निर्णय व डिक्री पारित किये वह विरूद्व कानून होने से निरस्तनीय है। वादी द्वारा ग्राम नांगली में ही भूमि खसरा नम्बर 103 रकबा 1.78 हैक्टेयर जिसके नये खसरा नम्बर 149 हैक्टेयर के संबंध में एक दावा संख्या 222/2012 निर्णय दिनांक 07.06.2011 उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर सीकर के निर्णयानुसार वादी श्रीचन्द को खसरा नम्बर 103 में धन्नाराम पुत्र गणपतराम की जगह श्रीचन्द पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी नांगली उद्घोषित किया गया है, इससे स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट के पिता की मृत्यु पर वादी के लाड प्यार का नाम धन्ना होने से सहवन से दर्ज हुआ है इसलिए खसरा नम्बर 138,144,199,89,90,91 में भी धन्नाराम के स्थान पर श्रीचन्द दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होने के बावजूद भी जो निर्णय व डिक्री पारित की है वो खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपील स्वीकार करने में कोई ऐतराज नही होना जाहिर किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में अपना नाम श्रीचन्द उद्घोषित करने बाबत ऐसे 7 दस्तावेज पेश किये है जिन सभी में वादी का नाम श्रीचन्द अंकित है इन महत्वपूर्ण दस्तावेजो को विवेचित किये बिना विचारण न्यायालय ने सरसरी तौर पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। वादी द्वारा ग्राम नांगली में ही भूमि खसरा नम्बर 103 रकबा 1.78 हैक्टेयर जिसके नये खसरा नम्बर 149 हैक्टेयर के संबंध में एक दावा संख्या 222/2012 निर्णय दिनांक 07.06.2011 उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर सीकर के निर्णयानुसार वादी श्रीचन्द को खसरा नम्बर 103 में धन्नाराम पुत्र गणपतराम की जगह श्रीचन्द पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी नांगली उद्घोषित किया गया है, इससे स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट के पिता की मृत्यु पर वादी के लाड प्यार का नाम धन्ना होने से सहवन से दर्ज हुआ है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है इसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है। फलस्परूप अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.03.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर